न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/495

1. गोविन्द लाल
2. हीरालाल पुत्रगण जगन्नाथ जाति धाकड निवासी ग्राम कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दलाल आत्मज श्री कजोड जाति मीणा निवासी ग्राम कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायमुकामान :–
   1/1. बद्री लाल आत्म्ज नन्दलाल
   1/2. रामबिलास आत्मज नन्दलाल
   1/3. सुमित्रा पुत्री नन्दलाल
   1/4. रूकमणी पुत्री नन्दलाल
   1/5. रामप्यारी विधवा पत्नी नन्दलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. रामभरोस आत्मज कजोड जाति मीणा निवासी ग्राम कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
3. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार लाडपुरा कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अरूण कुमार जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हुकम चन्द जैन, अभिभाषक, 1/1 से 1/3 रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 03.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2011 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, लाडपुरा ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) का प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी श्री नन्द लाल, रामभरोस पिता कजोड कौम मीना को ग्राम कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर पुराना 138

रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 166 रकबा 0.20 एवं खसरा नम्बर 167 रकबा 0.12 हैक्टर कुल 0.32 हैक्टर भूमि दिनांक 16.12.1976 को आवंटित हुई थी । आवंटी ने कब्जा प्राप्त करने के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष में शेष 50 प्रतिशत भूमि काश्त नहीं की । आवंटी द्वारा आवंटित आराजी पर कभी काश्त नहीं की है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.08.2011 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए निर्देश पारित किये कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई हो तो उसके विरूद्ध खातेदारी अधिकार समाप्त करने हेतु रेफरेन्स की कार्यवाही करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2011 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 2 व 3 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है । आवंटी का आवंटन नियम 14 (4) के अन्तर्गत निरस्त होने योग्य है । उक्त आवंटित आराजी अपीलान्ट की स्टीप ऑफ लैण्ड है जिस पर अपीलान्ट का पिछले 40 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त आराजी में अपीलान्ट के मकान बने हुए हैं । उक्त आराजी को अपीलान्ट खलियान के रूप में काम लेते हैं। आवंटित भूमि वर्तमान में कृषि भूमि नहीं रही है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 138 की 03 बीघा 13 हिस्वा आराजी जिसके हाल खसरा नम्बर 166 रकबा 0.20 एवं खसरा नम्बर 167 रकबा 0.12 हैक्टर कुल 0.32 हैक्टर कायम किये गये हैं । उक्त रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 को सन् 1976 में आवंटित की । आवंटन के उपरान्त आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जिस कारण आवंटन खारिज होने योग्य है । उक्त आराजी अपीलान्ट की स्टीप ऑफ लैण्ड जो अपीलान्ट के पक्ष में नियमन होने योग्य है । इस आराजी को अपीलान्ट 35–40 वर्षों से काम ले रहा है । फसल एवं जानवरों की सुरक्षा हेतु उनके द्वारा उक्त भूमि में कमरे बना रखे हैं और पौधे लगा रखे हैं । उक्त आराजी 40 वर्ष पूर्व आबादी में आ चुकी है, आवंटन नियम विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा कभी भी इस आराजी पर काश्त नहीं की है । पत्रावली पर रिपोर्ट दिनांक 16.08.2003 संलग्न है जिसमें भी उनका कब्जा नहीं बताया गया है इस रिपोर्ट पर रेस्पोडेन्ट ने कभी आपत्ति नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2011 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2013 पेज 212 एवं आरआरडी 1988 पेज 130 उद्धरत की ।

रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का आवंटन सन् 1976 में किया गया था और इस आराजी पर रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार मिल चुके हैं । खातेदारी अधिकार मिलने के बाद नियम 14 (4) का प्रार्थना पत्र एंव उसकी अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2011 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में सरकार की ओर से तहसीलदार लाडपुरा के द्वारा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट को पक्षकार बनाते हुए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) का पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है और तहसीलदार लाडपुरा को यह निर्देश दिये हैं यदि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है तो उनके विरूद्ध खातेदारी अधिकार समाप्त करने हेतु नियमानुसार रेफरेन्स की कार्यवाही करें । तहसीलदार के द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किये जाने के आधार पर आवंटन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है ।

9. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2057–60 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में माधो और कजोड खातेदार दर्ज हैं और नामान्तरकरण संख्या 180 का नोट अंकित है जिसके अनुसार माधो और कजोड के स्थान पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1व 2 का नाम दर्ज करने के आदेश हुए हैं । नकल खसरा गिरदावरी वंत् 2057 से 2059, नक्शा ट्रेस की प्रति और नामान्तरकरण संख्या 78 की प्रमाणित प्रति, नामान्तरकरण संख्या 34 की प्रति पत्रावली पर संलग्न है । इसके अलावा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 16.08.2003 भी संलग्न है । इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 167 एवं 168 की किस्म बारानी प्रथम है और यह नन्दलाल एवं रामभरोस पिसरान कजोड के खाते में दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार ने पेश किया था जिसकी अपील अपीलान्टगण ने पेश की है और अपीलान्टगण जो कि सवर्ण जाति के हैं के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जे के आधार पर आवंटन आदेश को चैलेंज किया है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के खाते में दर्ज हो चुकी है । ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण जो कि स्वयं को वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी बताते हैं, उन्हें आवंटन आदेश को चैलेंज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । खाते में आराजी दर्ज होने के बाद आवंटन फ्रॉड व मिसरिप्रेजेन्टेशन प्रमाणित होने पर ही खारिज किया जा सकता है । फ्रॉड व मिसरिप्रेजेन्टेशन का कोई कथन अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र एवं अपील में नहीं किया गया है ।

10. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वादग्रस्त आराजी उनके खाते में दर्ज हो चुकी है व अपीलान्ट सवर्ण जाति के सदस्य हैं। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने कई निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि अतिक्रमी को आवंटन आदेश को चैलेंज करने का कोई लोकस–स्टेण्डाई नहीं होता है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने एवं मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2011 की अनुपालना में रेस्पोडेन्टगण द्वारा आवंटन आदेशों की शर्तों की पालना नहीं करने के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार समाप्त करने हेतु प्रार्थी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

12. निर्णय आज दिनांक 03.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा